

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 26, सोमवार, ११११ १९४७- नवम्बर १७, २०२५ Kartika 26, Monday, Saka 1947- November 17, 2025	

भाग-१(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर ०७, २०२५

{अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ४(१)}

संख्या प.१(२४)नविवि/ भरतपुर /२०२५ :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भरतपुर शहर की योजना स्कीम नं०-१३ में १२० फीट सड़क हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा ४ (१) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम २०१६ के प्रावधानानुसार निम्न वर्णित प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम २०१६ के नियम ६ (८) की पालना सुनिश्चित करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ४ (६) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा ३ (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.१(५१)Rev-६/२०१४/३१ दिनांक २८.०८.२०१५ के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर होंगे।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार।

आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।

(देखिए नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

क.सं.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
1	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	भरतपुर शहर में योजना स्कीम नं०-13 में 120 फीट सड़क हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।
2	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईयाँ भी दें।	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई
3	यदि ग्राम सभा और /या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
4	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रिति के साथ अनेचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन) योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
5	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीड़न या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शुन्य हो जायेगी।	हाँ
6	सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

1. संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित क्षेत्र में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात् प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकॉर्ड किया जायेगा।
3. जन-सुनवाई के दौरान आए सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाघात को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से प्रारंभ किया जायेगा एवं अधिकतम 6 माह की अवधि में सम्पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

5. राज्य सरकार उन समस्त अधिकारियों को, जिनका इससे संबंध है, को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
6. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त धारा-4(1) के प्रकाशन की तारीख से अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक विनिर्दिष्ट भूमि का भूमि अवाप्ति अधिकारी (सचिव) भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगत सृजित नहीं करेगा।

सम्पर्क सूत्र:-

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।

संक्षिप्त नोट

योजना योजना स्कीम नं0-13 में 120 फीट सड़क हेतु ले-आउट अनुसार खसरा नम्बर का बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	गाँव	तहसील	खसरा नं.	रकबा (है०)
1.	चक नं. 01	भरतपुर	496	0.24 में से 0.0623 हैक्ट.
			589	0.21 में से 0.0057 हैक्ट.
			447/1926	0.19 में से 0.1228 हैक्ट.
			446	0.10 में से 0.06895 हैक्ट.
			445	0.10 में से 0.02963 हैक्ट.
			563	0.69 में से 0.01473 हैक्ट.
			497	0.26 में से 0.06235 हैक्ट.
			501	0.39 में से 0.1578 हैक्ट.

2.	श्रीनगर	भरतपुर	116	0.54 में से 0.0635 हैक्ट.
			184	0.26 में से 0.1787 हैक्ट.
			295	0.31 में से 0.0898 हैक्ट.
			527	0.22 में से 0.0332 हैक्ट.
3.	झीलरा	भरतपुर	143	0.30 में से 0.1281 हैक्ट.
किता			13	1.01756 हैक्ट.

प्रस्तावित सूची योजना 120 फीट सड़क हेतु निम्न राजस्व ग्राम तहसील व जिला भरतपुर

ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	नाम का काश्तकार	रकवा (है0)	वि0 वि0
चक न0 01	496	फूलचन्द पुत्र गंगाप्रसाद योगेशसिंह पुत्र के.पी. सिंह भागचन्द पुत्र गंगाप्रसाद नीरजतिवारी पुत्र छीतरमल नन्दनशर्मा पुत्र छीतरमलशर्मा सुखदेई पत्नि अतरसिंह पुष्पाशर्मा पत्नि छीतरमल चंचलतिवारी पत्नि हरिओमतिवारी नवीनशर्मा पुत्र छीतरलालशर्मा सतीश पुत्र नन्नूराम	0.24 में से 0.0623 हैक्ट.	

	589	न्यास, भरतपुर	0.21 में से 0.0057 हैक्ट.	
	447/1926	न्यास, भरतपुर	0.19 में से 0.1228 हैक्ट.	
	446	न्यास, भरतपुर	0.10 में से 0.06895 हैक्ट.	
	445	न्यास, भरतपुर	0.10 में से 0.02963 हैक्ट.	
	563	मंदिर श्रीनाथ जी महाराज सा.अटलबंद दरबाजा	0.69 में से 0.01473 हैक्ट.	
	497	हरनारायण पुत्र बल्लभ खैमचन्द पुत्र कलुआ करनसिंह पुत्र कलुआ मोहनलाल पुत्र कलुआ रामकिशन पुत्र कलुआ	0.26 में से 0.06235 हैक्ट.	
	501	न्यास, भरतपुर (90-ए) 26.06.2013	0.39 में से 0.1578 हैक्ट.	
श्रीनगर	116	न्यास, भरतपुर	0.54 में से 0.0635 हैक्ट.	
	184	न्यास, भरतपुर	0.26 में से 0.1787 हैक्ट.	
	295	न्यास, भरतपुर	0.31 में से 0.0898 हैक्ट.	
	527	बुद्धि पुत्र परभाती अतरी पुत्री परभाती विरमा पुत्री परभाती	0.22 में से 0.0332 हैक्ट.	

		रामदयाल पुत्र परभाती रामचरन पुत्र परभाती		
झीलरा	143	न्यास, भरतपुर	0.30 में से 0.1281 हैक्ट.	
किता	13		1.01756 हैक्ट.	

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।